संख्या-12/2017/क0नि0-4-1384/11-2017-300(11)/2009

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन, अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक: 14 नवम्बर, 2017**

विषय:- वर्ष-2015-16 में निजी सिक्योरिटी प्रेस से फॉर्म्स/स्टैम्प के मुद्रण से सम्बन्धित अवशेष धनराशि के भुगतान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-फार्म अनुभाग-(555)पंचम वाल्यूम(2017-18)/ 236/वाणिज्य कर, दिनांक-02नवम्बर, 2017 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-क0नि0-4-870/11-15-300(11)/2009, दिनांक-02जून, 2015 द्वारा प्रदान गयी स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष2015-16 में निजी सिक्योरिटी प्रेस से फॉर्म्स/स्टैम्प के मुद्रण से सम्बन्धित अवशेष भुगतान की धनराशि रूपये-15,40,000.00 (रूपये-पन्द्रह लाख चालीस हजार मात्र) के व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर,-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपायी" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in